नगर निगम, वाराणसी ।

टेण्डर नोटिस संख्या–15 / 2018–19,

संख्या– 329 / आधि० अभि०/18-19 दिनांक– 23-10-18

कृपया निम्नलिखित कार्यो हेतु नगर निगम के पंजीकृत ठेकेदार / फर्म से मुहरबन्द टेण्डर दिनांक– 31-10-18 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है, जो उसी दिन मुख्य अभियन्ता कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 03:30 बजे खोले जायेंगे । निविदा प्रपत्र फार्मकीपर, नगर निगम, वाराणसी से टेण्डर फार्म शुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त होंगे तथा मेमोरेण्डम फार्म अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में निविदा पड़ने के एक दिन पूर्व 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । बयाने की धनराशि अधिशासी अभियन्ता के नाम से बन्धक एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 के निविदा प्रपत्र के साथ टेण्डर बाक्स में डाला जायेगा । टेण्डर बाक्स मुख्य अभियन्ता कार्यालय में रखा जायेगा । टेण्डर स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा ।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रू0 में)	G.S.T.	बयाने की धनराशि	टेण्डर शुल्क	कार्य पूर्ण अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	सारनाथ वार्ड–30 अकथा में सत्संग नगर कालोनी में आलोक बरनवाल से प्यारेलाल राजभर तक चौका मरम्मत व विनोद कुमार के पास कच्ची गली में चौका का कार्य ।	449576.75	53949.21	9000	1370	02 माह
2	सारनाथ वार्ड–33 अन्तर्गत बुद्ध नगर कालोनी में गीता देवी के पास नाला पर कलवर्ट (पुलिया) का निर्माण का कार्य ।	259000.66	31080.07	5200	336	01 माह
3	सारनाथ वार्ड अन्तर्गत राजू जायसवाल के घर के पास खुले नाले को कवर करने का कार्य ।	836000.00	100000	16720	1370	3 माह
4	सिकरौल प्रथम वार्ड अन्तर्गत हंस नगर महावीर मंदिर टकटकपुर में गुड्डू सिंह के मकान से डा0 नीरज सोनी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	600669.66	72080.36	12100	1370	03 माह

1. **उक्त निविदा में नगर निगम के पंजीकृत ठेकेदार / फर्म जिनका पंजीयन वर्ष 2018–19 में पंजीकृत हो प्रतिभाग कर सकते है ।**
2. जिस श्रेणी में ठेकेदार / फर्म का पंजीकरण है, वह उसी श्रेणी के कार्यो की निविदा में प्रतिभाग कर सकते है ।
3. बयाने की धनराशि कार्य के लगायत 02 प्रतिशत के रूप में (प्राविधानिक धनराशि एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर / डी0आर0सी0 / एन0एस0सी0 जो कि मुख्य अभियन्ता नगर निगम वाराणसी के नाम से बन्धक हो) की स्कैन कापी, एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर / डी0आर0सी0 / एन0एस0सी0 का नम्बर, बैंक का नाम तथा दिनांक का उल्लेख करना आवश्यक है निविदा स्वीकृति में भिन्नता पाये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध पंजीकरण के शर्तो के अधीन कठोर कार्यवाही की जा सकती है ।
4. उक्त टेण्डर को नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org पर भी देखा जा सकता है ।
5. यदि फर्जी / गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा ।
6. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों / असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम कालीसूची में डाला जायेगा ।
7. निविदाओं में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार / फर्म का कोई दांवा मान्य नहीं होगा ।
8. अनुमानित आगणन धनराशि 15 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा को स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।
9. अनुमानित आगणन धनराशि 1 से 15 प्रतिशत निम्न निविदा डालने पर उतनी अतिरिक्त धनराशि (10 प्रतिशत बिलो तक 0.50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर) सिक्योरिटी / परफार्मेन्स गारंटी ली जायेगी ।
10. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत सेक्युरिटी (एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर / डी0आर0सी0 / एन0एस0सी0) अनुबन्ध गठन के समय जमा करना अनिवार्य होगा । जिसे कार्य पूर्ण होने के 01 वर्ष पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा ।

Scanned by CamScanner

11. कार्य कराने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यों की फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न की जाय तथा गुणवत्ता का परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा ।
12. प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ कराने के पूर्व स्थल पर कार्य के नाम का बोर्ड, कार्य की लम्बाई, अनुमानित धनराशि, कार्यावधि, कार्य प्रारम्भ तिथि का उल्लेख, ठेकेदार/एजेन्सी का नाम व मोबाईल नम्बर अंकित करते हुये बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा ।
13. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार होगा ।
14. निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिन के अन्दर यदि कार्य का अनुबन्ध नहीं कराया जाता है तो बयाने की धनराशि जब्त कर कार्य निरस्त कर दिया जायेगा । जिस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
15. उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली– 2009 के अनुसार कार्यों के निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उक्त कार्य (सेस) की धनराशि उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी । जिसका समाविष्ट करते हुये निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें।
16. **कराये गये कार्यों की जाँच Third Party से कराना अनिवार्य होगा । जाँच के उपरान्त की भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।**
17. किसी अथवा सभी प्राप्त निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, वाराणसी

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, वाराणसी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ ।

1. मा0 महापौर, महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी को सादर सूचनार्थ ।
3. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी ।
4. पुलिस अधीक्षक (नगर), नगर निगम, वाराणसी ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, वाराणसी ।
6. नगर स्वास्थ अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी ।
7. थानाध्यक्ष, थाना सिगरा
8. इन्चार्ज, पुलिस चौकी, नगर निगम, वाराणसी ।
9. फार्मकीपर, नगर निगम, वाराणसी ।
10. इन्चार्ज मुख्य रक्षक दल, नगर निगम, वाराणसी ।
11. कार्यालय, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु ।
12. समाचार पत्र ।
13. कम्प्यूट सेल, (वेबसाईट पर डालने हेतु) नगर निगम, वाराणसी ।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, वाराणसी

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, वाराणसी

Scanned by CamScanner